आदेश

सचिव, आपदा प्रबन्धन एंव पुर्नवास अनुभाग, उत्तराख्याण्ड शासन, के शासनादेश संख्या–279/F/14/XVIII-(2)/15(32)A/2013 दिनांक 18.02.2013 के अनुकम में जिलाधिकारी चमोली एतद्संदर्भित आदेश संख्या–र–4268/तेरह–25(2012–13) गोपेश्वर दिनांक 19 फरवरी, 2014 जिसके द्वारा दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के पुर्निनिमार्ण एंव मरोम्मत कार्यो हेतु परगना स्तर पर उपजिलाधिकारियों को परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) जो "विशेष पुनर्निमाण इकाई" से ज्ञात है, को मुख्य कार्य अधिकारी नामित किया गया है।

योजनाओं के प्राकलनों पर पी0आई0यू0 की सस्तुति के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार प्राक्कलनों पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	स्वीकृत लागत लाख में	अवमुक्त धनराशि 80 % लाख में	कार्यदायी संस्था	कार्य की आवश्यकता/महत्व
1	2	3	4	5	6
1	कलसीर दाई सिंचाई नहर मरम्मत कार्य	4.16	3.32	अधिशासी अभियन्ता, सिचांई खण्ड चमोली	सिचाई एंव जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराना
2	पाडुली सिंचाई नहर मरम्मत कार्य	3.60	2.88	अधिशासी अभियन्ता, सिचांई खण्ड चमोली	निर्धन एंव लघु किसानों को सिचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना
3	डांडा श्रीगढ सिंचाई नहर मरम्मत कार्य	5.65	4.52	अधिशासी अभियन्ता, सिचांई खण्ड चमोली	निर्धन एंव लघु किसानों को सिचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना
4.	क्वींठी पेयजल योजना मरम्मत कार्य	2.32	1.85	अधिशासी अभियन्ता, उ0पे0सं0वि0 एंव निमार्ण निगम गोपेश्वर	पेयजल आपूर्ति हेतु
5.	नागधार पेयजल योजना मरम्मत कार्य	1.51	1.20	अधिशासी अभियन्ता, उ0पे0सं0वि0 एंव निमार्ण निगम गोपेश्वर	पेयजल आपूर्ति हेतु
	योग	17.24	13.77		

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तो एंव प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उक्त प्रस्तावित कार्यों पर 25.00 लाख (पच्चीस लाख) तक के कार्य वर्क चार्ज के आधार पर सम्पादित किये जायगें। 25.00 (पच्चीस लाख) से 100.00 लाख (एक करोड) तक के कार्यो हेतु निविदा आमन्त्रित की जायेगी एंव उपरोक्त निविदा की अअवधि 07 दिन की होगी।
2. कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं तकनीकी मानकों का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जायेगा। इसके लिए कार्यदायी संस्था गुणवत्ता के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
3. कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य न्यूनतम अवधि में पूर्ण कर लिया जायेगा।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य सम्पन्न करने के उपरान्त कार्य/योजना की फोटो उपलब्ध करा दी जायेगी ताकि कार्य की सत्यतता की प्रमाणीकरण किया जा सके।
5. किये गये कार्य का भुगतान करने से पूर्व मानकानुसार कार्य की नाप जोख एवं गुणवत्ता का पूर्व ध्यान दिया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत धनराशि में यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उस धनराशि को तत्काल मुख्य कार्य अधिकारी (पी0आई0यू0) के खाते में एक सप्ताह अन्दर जमा करना आवश्यक होगा।
6. आगणन में उल्लिखित दरों का विशलेषण सम्बन्धित विभाग के तकनीकी अभियन्ता से दरों की प्रमाणिकता अवश्य करा ली जाय।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि रखते हुए प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यो के आंगणन सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः–2

8. वर्कचार्ज पर कार्य दिये जाने से पूर्व ठेकेदार की क्षमता का आंकलन भली भांति कर लिया जाय।

9. कार्यों का आवंटन इस प्रकार किया जाय कि स्वीकृत सभी कार्यों पर कार्य प्रारम्भ साथ–साथ किया जाय तथा समय से सभी कार्य पूर्ण हो सके।

10. प्रत्येक योजना पर 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा मैजरमैन्ट बुक, किये गये कार्य के फोटोग्राफ्स तथा कार्य पूर्ण हेाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।

11. कार्य पूर्ण होने पर कार्ययोजना का नाम, लागत, दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कॉकीट/बोर्ड पर अंकित किया जायेगा, जिसकी पुष्टि फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये जायेगें।

दिनांक, पोखरी, 2014

मुख्य कार्याधिकारी (पी0आई0यू0)/
उपजिलाधिकारी,
पोखरी।

कार्यालय पी0आई0यू0/उप जिलाधिकारी पोखरी, जनपद चमोली।

संख्या :01 / तेरह–01– पी0आईयू0 (2013–14) दिनांक फरवरी, 22 2014

1. कार्यदायी संस्था, अधि0अभि0 सिचाई खण्ड चमोली/ उ0पे0सं0वि0 एंव निमार्ण निगम गोपेश्वर।
2. तहसीलदार पोखरी।
3. .खण्ड विकास अधिकारी/कोषाधिकारी पोखरी।
4. सहायक अभियन्ता/सदस्य पी0आई0यू0 लोनिवि/सिचांई विभाग।
5. मा0 विधायक श्री राजेन्द्र भण्डारी जी, विधान सभा क्षेत्र 04–ब्रदीनाथ।
6. जिलाधिकारी, चमोली।
7. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी चमोली को बेबसाइट पर अंपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्याधिकारी (पी0आई0यू0)/
उपजिलाधिकारी,
पोखरी।